# कार्यालय : स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 3प/पैरा/कार्मिक अनु0 4, 5, 6/03/2025/ 12171 देहरादूनः दिनाक– 20 मई, 2025

सेवा में,

आई0ई0सी0 अधिकारी,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– **वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2025–26 के दौरान उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार प्राप्त विकल्पों/आवेदन–पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, कृपया चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत पैरा मेडिकल संवर्गों यथा (नर्सिंग संवर्ग/लैब टैक्नीशियन/ई0सी0जी0 टैक्नीशियन/फार्मासिस्ट/एक्स–रे टैक्नीशियन/दृष्टिमितिज्ञ/फिजियोथेरेपिस्ट/ डी0आर0ए0/कुष्ठ) को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्रस्तर– 23 (7) में दिये गये प्राविधानानुसार प्रत्येक संवर्ग के कार्मिकों से प्राप्त विकल्पों/आवेदन– पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद स्तर (समस्त मुख्य चिकि0अधि0/प्रमुख/मुख्य चिकि0 अधीक्षक जिला चिकि0/उप जिला चिकित्सालायों) से **पंजीकृत डाक/ई–मेल (हार्ड कॉफी/सफ्ट कॉफी) व्हाटसअप** के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सूचना तैयार की गयी है।

अतः उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में **चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत पैरा मेडिकल संवर्ग (नर्सिंग संवर्ग/लैब टैक्नीशियन/ई0सी0जी0 टैक्नीशियन/ फार्मासिस्ट/एक्स–रे टैक्नीशियन/दृष्टिमितिज्ञ/फिजियोथेरेपिस्ट/ डी0आर0ए0 / कुष्ठ) संवर्ग के कार्मिकों के प्राप्त विकल्पों / आवेदन–पत्रों की सूचना विभागीय वेबसाइट (nhm.uk.gov.in) पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें**, एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नरेश नपलच्याल)
सहायक निदेशक (पैरा मेडिकल)

पत्रांक– 3प/पैरा/कार्मिक अनु0 4, 5, 6/03/2025/ तद् दिनांक।

**प्रतिलिपि** :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त विभागीय वेबसाइट में प्रदर्शित की गयी सूचना को अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों को अवलोकित कराने का कष्ट करें। **यदि उक्त सूची में स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची में आने वाले किसी भी कार्मिक का नाम छूट जाता है तो उनका नाम सम्मलित कर तत्काल विशेष पत्रवाहक के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उक्त प्रदर्शित सूची में यदि किसी कार्मिक को कोई आपत्ति हो तो 03 कार्य दिवसों के भीतर सूचना उपलब्ध कराये।**

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौडी/कुमॉऊमण्डल नैनीताल।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिला चिकि0/उप जिला चिकि0 उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विभागीय वेबसाइट (nhm.uk.gov.in) के सम्बन्ध में सभी कार्मिकों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

(नरेश नपलच्याल)
सहायक निदेशक (पैरा मेडिकल)